

32

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

बत्तीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन		
अध्याय - एक	परिचय	
अध्याय - दो	मांग संख्या-6 की जांच - रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगें	
अध्याय - तीन	उर्वरक राजसहायता नीति	
अध्याय - चार	उर्वरक क्षेत्र- उर्वरकों का उत्पादन/अनुसंधान एवं विकास/आयात/वितरण और संतुलित उपयोग	
भाग-दो		
टिप्पणियां/सिफारिशें		
परिशिष्ट		
एक.	24 फरवरी, 2022 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	16 मार्च, 2022 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि- सभापति सदस्य लोक सभा

2. श्री दिवेन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डीआला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरुण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

सचिवालय

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------------|
| 1. | श्री विनोद कुमार त्रिपाठी | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री एन.के. झा | - | निदेशक |
| 3. | श्री सी. कल्याणसुन्दरम | - | अपर निदेशक |
| 4. | श्री पन्ना लाल | - | अवर सचिव |

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी यह बत्तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' की जांच की जिसे 08 फरवरी, 2022 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

3. समिति ने 24 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने दिनांक 16.03.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

5. समिति अपने समक्ष लिखित उत्तर और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने तथा विचार व्यक्त करने में सहयोग देने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है।

6. समिति अपने से जुड़े लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए भी उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोड़ी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

भाग-दो
टिप्पणियाँ और सिफारिशें

सिफारिश संख्या 1- 2022-23 के बजट अनुमानों में अपर्याप्त बजटीय आवंटन

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए उर्वरक विभाग से संबंधित मांग संख्या 6 के संबंध में 109242.23 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। यह आवंटन विभाग की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 176760.59/- करोड़ रुपये की अनुमानित मांग के संबंध में किया गया है। इस संबंध में, समिति यह जानकर निराश है कि बजट अनुमान आवंटन में 67518.36/- करोड़ रुपये की कटौती की गई है जो विभाग की अनुमानित आवश्यकताओं का 38% है। उर्वरक विभाग के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए सब्सिडी निधियों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का कच्चे माल और उर्वरकों के मूल्यों के आधार पर 2022-23 के लिए सं.अ./अनुपूरक के समय पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और मांग की जाएगी। तथापि, सं.अ. चरण से पहले व्यय केवल ब.अ. आवंटन के आधार पर किया जाता है। सं.अ. को अधिकतर प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक अंतिम रूप दिया जाता है और इसे अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के माध्यम से नियमित किया जाता है। इसलिए, सं.अ. चरण में अनुमोदित निधियां ज्यादातर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ही विभाग तक पहुंचती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ब.अ. चरण में 84041.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे संशोधित स्तर पर बढ़ाकर 149663.28 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जो ब.अ. की तुलना में लगभग 78% अधिक था। निधियों की इतनी देर से प्राप्ति के परिणामस्वरूप, उर्वरक विभाग 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार केवल 117675.14 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि 2022-23 के लिए अनुमानित आवश्यकता और बजटीय आवंटन में अंतर के परिणामस्वरूप अंततः यूरिया और पी एंड के उर्वरक सब्सिडी दोनों के संबंध में दावों के भुगतान/निपटान में देरी हो सकती है और इस प्रकार समग्र रूप से उर्वरक क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पहले भी सिफारिश की थी कि वित्त मंत्रालय को उर्वरक विभाग को "प्राथमिकता विभाग" के रूप में घोषित करने के लिए उच्चतम स्तर पर आश्वस्त किया जाए ताकि

विभाग की निधि आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के पूरा किया जा सके। बजट अनुमान स्तर पर निधियों की भारी कमी पूरे वर्ष के लिए व्यय योजना को बाधित करेगी और सब्सिडी भुगतान के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि का पर्याप्त आवंटन वित्त मंत्रालय और उर्वरक विभाग दोनों की खराब योजना को दर्शाता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग अपनी बजटीय योजना प्रक्रिया को मजबूत करे और निधियों की सटीक मांग करे ताकि अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए बिना किसी कटौती के ब.अ. स्तर पर ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को विश्वस्त जा सके। सब्सिडी प्राप्त दरों पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय इस विभाग को प्राथमिकता दे और विभाग द्वारा अपेक्षित निधियों को ब.अ. स्तर पर ही आवंटित करने का प्रयास करे जिससे विभाग को निधियों का समय पर और इष्टतम उपयोग करने में सुविधा होगी और अंततः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अनुपालन के लिए इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से वित्त मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 2: सं.अ. 2022-23 में आवंटन के लिए प्रस्तावों को समय पर रखना

समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि विभाग को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के लिए 72702 करोड़ रुपये के बजटीय प्रस्ताव के स्थान पर ब.अ. 2022-23 में 42000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यूरिया सब्सिडी के संबंध में, विभाग को वर्ष 2022-23 में 104016.64 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में 67202.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी के संबंध में 2022-23 के लिए ब.अ. आवंटन 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21% कम है और 2021-22 के सं.अ. की तुलना में इस बार एनबीएस सब्सिडी में 35 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आवंटन में कमी के कारणों और यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता के संबंध में उर्वरक विभाग ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्ध वित्तीय आवश्यकता के अनुसार निधियों का आवंटन किया है। निधियों की वास्तविक आवश्यकता बाजार में कुछ उर्वरकों और कच्चे माल के प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेगी। हालांकि, यदि आवश्यकता होती है, तो यह वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि वह सं.अ. 2022-23 चरण पर और 2022-23 के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगों

में अतिरिक्त धन आवंटित करे। विगत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, समिति का विचार है कि 2022-23 के ब.अ. चरण में बजटीय आवंटन यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग पूरे वर्ष के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन करे और सं.अ. 2022-23 में अतिरिक्त आवंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना प्रस्ताव समय पर रखे ताकि वर्ष के दौरान स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के लिए यूरिया और एनबीएस सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत अपनी अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समिति को इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 3: कैरी-ओवर देनदारियों को समाप्त करने की आवश्यकता

समिति यह नोट करके चिंतित है कि स्वदेशी और आयातित यूरिया के संबंध में 2021-22 के दौरान सब्सिडी के भुगतान के लिए अनुमानित कैरी-ओवर देनदारियां (सीओएल) क्रमशः 6000 करोड़ रुपये और 12300 करोड़ रुपये होगी और स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरकों के संबंध में यह क्रमशः 1300 करोड़ रुपये और 2073 करोड़ रुपये होगी। 2021-22 के अंत तक स्वदेशी और आयातित यूरिया और पी एंड के उर्वरकों के संबंध में सीओएल के रूप में कुल 21673 करोड़ रुपये जमा होने की संभावना है। इस संबंध में, उर्वरक विभाग ने बताया कि उसने 2021-22 की तिमाही-IV में स्वदेशी यूरिया निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत 6000 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है और यदि अनुपूरक अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित कैरी-ओवर देनदारियों का निपटान किया जाएगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय से आयातित यूरिया के संबंध में सीओएल को समाप्त करने के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। हालांकि, स्वदेशी पी एंड के तथा आयातित पी एंड के के संबंध में सीओएल को उपलब्ध बजट (सं.अ. 2021-22) से मार्च, 2022 के अंत तक पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने की संभावना है। समिति वर्ष-दर-वर्ष कैरी-ओवर देनदारियों को संचित करने की उर्वरक विभाग की प्रवृत्ति की निंदा करती है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से इसकी बजटीय प्रक्रिया में उचित योजना की कमी को दर्शाती है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग एक ठोस तंत्र विकसित करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति सहित विभिन्न कारकों को ध्यान

में रखते हुए स्वदेशी और आयातित उर्वरकों दोनों के संबंध में सब्सिडी के भुगतान के लिए सं.अ. चरण निधि आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाया जा सके और सं.अ. स्तर पर निधि आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष एक सटीक मांग रखें ताकि विभाग वित्तीय वर्ष के अंत तक बिना किसी सीओएल के सब्सिडी के भुगतान के लिए संपूर्ण सं.अ. आवंटन का समय पर उपयोग कर सके। उर्वरक विभाग के लिए सं.अ. आवंटनों का निर्णय लेते समय इस सिफारिश की एक प्रति इसके अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय को भी भेजी जाए।

सिफारिश संख्या 4: उर्वरकों आदि के आयात के स्रोतों के विविधकरण की आवश्यकता।

समिति ने यह नोट करते हुए चिंता व्यक्त की है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में स्वदेश में विनिर्मित उर्वरकों के लिए सब्सिडी में कमी आई है और आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी का हिस्सा बढ़ा है। उर्वरक विभाग के अनुसार, देश हमारे देश में कच्चे माल की अनुपलब्धता/कमी के कारण तैयार उर्वरकों या उनके कच्चे माल के रूप में 90% तक फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों और 100% तक पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। समिति को यह भी बताया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 25-30 प्रतिशत यूरिया का आयात किया जाता है। चूंकि पी एंड के उर्वरक एनबीएस स्कीम के तहत नियंत्रण मुक्त रखा गया है, इसलिए सभी पी एंड के उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) व्यवस्था के तहत आते हैं और कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर इनका आयात किया जाता है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान भू-राजनीतिक स्थितियों आदि के कारण उर्वरकों के साथ-साथ कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कच्चे माल के साथ-साथ एनपीके उर्वरकों, विशेषरूप से डीएपी का आयात करना बहुत महंगा हो गया है। इस प्रकार, इससे आपूर्ति की समान मात्रा को बनाए रखने के लिए सब्सिडी पर अत्यधिक व्यय आता है। समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि पिछले साल यूरिया का मूल्य जनवरी, 2021 में 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर दिसंबर, 2021 में लगभग 1,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया है। यह स्थिति चालू वर्ष में भी जारी रह सकती है जिससे अनुपूरक मांगों के समय विभाग को और अधिक निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति सरकार के सब्सिडी बजट में लगातार वृद्धि कर सकती है, अतः, समिति स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

- (i) उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम करने के लिए, विभिन्न उर्वरकों और इसके कच्चे माल की उचित कीमतों पर नियमित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर करके विभाग आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधितों के साथ समन्वय में सक्रिय कदम उठाए।
- (ii) चूंकि पी एंड के उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है और कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर इनका आयात किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निरंतर निगरानी करने और विभिन्न उर्वरकों के पर्याप्त बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभावों से निपटा जा सके।
- (iii) उर्वरक विभाग खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ हमारे देश में ही डीएपी और अन्य उर्वरकों के लिए कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज पर विचार-विमर्श में तेजी लाए और शीघ्रातिशीघ्र अन्वेषण प्रक्रिया शुरू करे ताकि हमारे देश में ही इन खनिजों की उपलब्धता के मामले में अन्य देशों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय और संबंधित अन्य को अनुपालन के लिए सूचित किया जाए। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 5: एसएसपी और शीरा से उत्पन्न पोटाश का संवर्धन

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उर्वरक हमारे देश में 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित है और उर्वरकों के स्वदेशी स्रोत को बढ़ावा देने के लिए शीरा (पीडीएम) से उत्पन्न पोटाश को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। उर्वरक विभाग के अनुसार, देश में एसएसपी की 111 विनिर्माण इकाइयां हैं और 2020-21 और 2021-22 के रबी सीजन के दौरान एसएसपी का कुल उत्पादन क्रमशः 23.66 एलएमटी और 21.53 एलएमटी था। किसान डीएपी के एक बैग के स्थान पर 20 किलोग्राम यूरिया के साथ एसएसपी के दो बैग का

उपयोग करते हैं। यह भी पता चला है कि पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया था कि डीएपी के स्थान पर एसएसपी के उपयोग को मानक प्रचलन बनाया जाना चाहिए क्योंकि एसएसपी बहुत लागत प्रभावी है और इस प्रकार इसे गरीब आदमी के डीएपी के रूप में जाना जाता है। समिति को यह भी नोट करते हुये प्रसन्नता है कि उर्वरक विभाग अन्य राज्यों में भी इसकी उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए माल ढुलाई राजसहायता योजना में एसएसपी को शामिल करने की योजना बना रहा है। तथापि, एसएसपी उद्योग का उपयोग कुछ राज्यों तक ही सीमित है जहां इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इसलिए, समिति की यह पुरजोर सिफारिश है कि विभाग सरकारी निजी भागीदारी मोड के माध्यम से भी देश भर में एसएसपी और पीडीएम विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को जोरदार ढंग से बढ़ावा दे ताकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो ताकि वे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यह संतुलित उर्वरता में भी सहयोग करेगा, कीमती विदेशी मुद्रा को बचाएगा और लंबे समय में एनपीके उर्वरकों के संबंध में हमारी आयात निर्भरता को कम करेगा। एनपीके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति को आशा है कि उर्वरक विभाग देश में एसएसपी और पीडीएम के संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और समिति को इस मामले में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराएगा।

सिफारिश संख्या 6: यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की आवश्यकता

समिति ने नोट किया है कि सतत कृषि विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को यूरिया वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए और इसलिए यूरिया को किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित एकसमान अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। उर्वरक विभाग ने 2 अगस्त, 2021 को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मूल्यांकन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। तथापि, ईएफसी ने सिफारिश की है कि वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार यूरिया राजसहायता योजना को 31-03-2022 तक एक वर्ष के लिए जारी रखा जाए। ईएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि इसकी भी जांच की जाए कि क्या यूरिया को पोषक तत्व आधारित

राजसहायता योजना के अंतर्गत लाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यूरिया राजसहायता नीति के साथ-साथ पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के अंतर्गत नाइट्रोजन राजसहायता समान हो। तथापि, यूरिया राजसहायता पर किए गए "तीसरे पक्ष के मूल्यांकन" की सिफारिश है कि यूरिया उद्योगों, किसानों और कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसका फसल उपज बढ़ाने और खेती के लिए किसानों के व्यय को कम करने में कृषि क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। समिति का मानना है कि यूरिया देश में एक बहुत ही संवेदनशील उर्वरक है क्योंकि इसका उपयोग अधिकांश किसानों द्वारा किया जाता है और इससे देश में हरित क्रांति हुई है। इसके अतिरिक्त, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है जबकि एनबीएस स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए पी एण्ड के उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग/आपूर्ति संतुलन के आधार पर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग इस संबंध में किसी सुविचारित निर्णय पर पहुंचने से पहले यूरिया को एनबीएस योजना के अंतर्गत लाने की व्यवहार्यता, यह किसानों के हितों को किस हद तक प्रभावित करेगा, कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव आदि पर किसानों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करे। इसलिए, वित्त मंत्रालय और ईएफसी से अनुरोध किया जाए कि वे वर्तमान यूरिया सब्सिडी योजना को 31 मार्च, 2022 से आगे बढ़ाएं, जैसा कि तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय के समक्ष विचारार्थ साझा भी किया जाए। इस मामले में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।

सिफारिश संख्या 7: उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियां

समिति ने नोट किया कि वित्त मंत्रालय ने 20 वें प्रतिवेदन (अनुदानों की मांगें 2021-22) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उर्वरक विभाग के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अलग शीर्ष खोला/पुनर्जीवित किया। इस मद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टोकन अनुपूरक लेकर 10 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 लाख रुपये का आवंटन शीर्ष के तहत किया गया है। हालांकि, समिति इस बात से व्यथित है कि जब समिति को जानकारी दी गई थी तब नैनो यूरिया में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए

10 लाख रुपये की सहायता अनुदान (2021-22) का उपयोग शून्य था। विभाग ने उच्च दक्षता वाले पर्यावरण-अनुकूल उर्वरक उत्पादों के विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में कोई अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम भी नहीं किए हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, उर्वरक और उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी, कच्चे माल के उपयोग और उर्वरक उत्पादों में नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग के अंतर्गत उर्वरक सीपीएसई द्वारा भारतीय उर्वरक एवं उर्वरक पोषक तत्व अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर) का गठन किया गया है। यह भी पता चला है कि आईसीएफएफटीआर को वित्तपोषण के लिए कोई नया अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, आईसीएफएफटीआर द्वारा उर्वरक विभाग के समक्ष निधियों की कोई मांग नहीं उठाई गई है। इसलिए कोई नए अनुमान नहीं लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, यदि वित्तपोषण के लिए कोई नया अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो विभाग द्वारा अनुदान की अनुपूरक मांग में नई मांगों की जाएंगी। समिति उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग की आधी-अधूरी पहलों से संतुष्ट नहीं है और यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि

- (i) उर्वरकों और उर्वरक विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा उर्वरक उत्पादों में नवाचार को इसके लिए उपयुक्त बजटीय आबंटन के समर्थन के साथ पूरे मन से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- (ii) उर्वरक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को नैनो उर्वरकों (यूरिया/पीएंडके/सूक्ष्म पोषक तत्व), जैव उर्वरकों, जैविक उर्वरकों, कम्पोस्ट, जैव उत्तेजकों आदि की स्वदेशी किस्मों को शामिल करने के लिए उत्पाद बास्केट में विविधता लाकर और अधिक कुशल उर्वरकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिन्हें उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच साझा किया जाए।
- (iii) विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के साथ सामान्य अनुसंधान परियोजनाओं (प्रत्येक वर्ष 4-5) की पहचान करे और नए अभिनव कुशल उर्वरकों के विकास के लिए उपयुक्त बजटीय सहायता के साथ केंद्रित और एकीकृत प्रयास करे और इसके लिए पेटेंट प्राप्त करे जो दीर्घावधि में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने और उर्वरकों का शुद्ध निर्यातक बनने में मदद करेगा।

(iv) आईसीएफएफटीआर को विशेष रूप से अभिनव उर्वरक उत्पादों के विकास और उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में संवर्धन और अनुसंधान के लिए समर्पित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में बढ़ावा दिया जाए।

सिफारिश संख्या 8: जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन हेतु बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए नई योजना तैयार करने की आवश्यकता

समिति ने नोट किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2016 में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता दी जा रही थी, वह 30 सितंबर, 2021 के बाद व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के अनुसार बंद कर दी गई है। समिति को अवगत कराया गया कि ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान योजना को जारी रखने के संबंध में अपनी समीक्षा में कहा कि यह एक बहुत छोटी योजना है और चूंकि बड़े बजट और बेहतर क्षेत्र की उपस्थिति के साथ अन्य विभागों में भी इसी तरह की योजनाएं हैं, इसलिए सिटी कम्पोस्ट योजना को बढ़ावा देना बंद कर दिया जाना चाहिए। तथापि, समिति चाहती है कि पारिस्थितिकी के अनुकूल प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता के दायरे को बढ़ाकर एक नई योजना शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के अंतर्गत भी शामिल हैं। समिति का मानना है कि एमएसएमई और बड़ी उर्वरक कंपनियां दोनों इसमें शामिल हों और जैविक और जैव उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन एग्रीगेटर मॉडल पर आधारित हो जिसमें बड़ी कंपनियां एग्रीगेटर के रूप में कार्य करती हैं और वे इन उत्पादों को एमएसएमई से लेती हैं। बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इससे दीर्घावधि में पारिस्थितिकी के अनुकूल उर्वरक किसानों को सस्ती दरों पर स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और यह मृदा और पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल भी होगा। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग एफसीओ के अंतर्गत शामिल जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने की व्यापक गुंजाइश के साथ समयबद्ध तरीके से एक नई योजना का प्रारूप तैयार करे और इसे व्यय वित्त समिति के अनुमोदन

के लिए रखे और निकट भविष्य में इसके लिए पर्याप्त बजट की मांग करे। इस सिफारिश को इसके अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाए।

सिफारिश संख्या 9: किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने की आवश्यकता

समिति यह नोट करके चिंतित है कि उर्वरक राजसहायता पर 1.2 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के बावजूद ग्रामीण स्तर पर किसानों को व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि खुदरा विक्रेता किसानों से सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ-साथ किसी कंपनी विशेष द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए कहते हैं। समिति ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि एक तरफ विभाग यह दावा कर रहा है कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं है जबकि दूसरी ओर किसानों को उर्वरकों की अनुपलब्धता के संबंध में खबरें आ रही हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि स्थानीय स्तर पर गलत प्रबंधन के कारण यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। समिति चाहती है कि यद्यपि स्थानीय स्तरों पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है, फिर भी विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क प्रणाली के कार्यकरण को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी के खतरे को रोका जा सके और उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि:-

- (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि वे किसानों को विशेषरूप से फसलों की खेती के व्यस्ततम मौसम के दौरान उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं और किसी भी किसान को राजसहायता प्राप्त उर्वरकों से वंचित नहीं किया जाए।
- (ii) कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी आदि के खतरे को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सटीक उपाय किए जाएं।
- (iii) विभाग को सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करके उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत शक्ति-प्राप्त कंपनी, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता स्तर पर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री

की नियमित लेखापरीक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करे ताकि विभिन्न स्तरों पर अनुचित व्यवहार, यदि कोई हो, को रोका जा सके। यदि लेखा परीक्षा के दौरान कोई अनाचार पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे दीर्घावधि में कृषि क्षेत्र लाभान्वित होगा।

(iv) विभाग को देश भर में खुदरा/थोक दुकानों पर पीओएस उपकरणों की तत्काल स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उर्वरकों की बिक्री को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से या केसीसी के माध्यम से अनिवार्य बनाया जा सके और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार्य हो सके। किसी भी चोरी को रोकने और प्रत्येक स्तर पर स्टॉक और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए आईएफएमएस डैश-बोर्ड प्रणाली को और मजबूत किया जाए।

इस समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को उनके अनुपालन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों/एजेंसियों को सूचित किया जाए। समिति इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 10: उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को मजबूत करने की आवश्यकता।

समिति इस बात से चिंतित है कि फसल और मिट्टी के प्रकार के अनुसार उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहल पर्याप्त नहीं हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, यूरिया देश में एक बहुत ही संवेदनशील उर्वरक है और किसानों को 'मना नहीं करना' के आधार पर 266.5 रुपये प्रति 45 किलोग्राम प्रति बैग की रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है। किसान कुछ उर्वरकों विशेषकर यूरिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं और इससे उर्वरकों का असंतुलित उपयोग होता है जो दीर्घावधि में मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अतः मृदा स्वास्थ्य कार्डों में दिए गए परामर्श के अनुसार उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। समिति विभाग द्वारा की इस बात से आश्चस्त नहीं है कि यह एक धारणा है कि यदि कोई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करता है, तो उर्वरक की खपत कम हो जाएगी। चूंकि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के

परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आती है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए समिति निम्नलिखित की दृढ़ता से सिफारिश करती है: -

- (i) कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह लक्ष्योन्मुखी तरीके से उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के प्रतिशत उपयोग की नियमित रूप से निगरानी करने में प्रभावी रूप से मदद कर सके।
- (ii) देश के प्रत्येक क्षेत्र की मृदा जांच और मृदा मानचित्रण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए;
- (iii) इस बात की जांच की जाए कि क्या उर्वरकों की बिक्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार की जा सकती है ताकि मृदा विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- (iv) उर्वरक विभाग सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/उर्वरक कंपनियों/अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए मासिक लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम तैयार करे।

इस सिफारिश को सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके द्वारा अनुपालन के लिए सूचित किया जाए। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 11: नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता

समिति ने उर्वरक विभाग की इस बात पर ध्यान दिया है कि इफको ने स्वदेशी रूप से नैनो यूरिया विकसित किया है जो अगली पीढ़ी का स्मार्ट कुशल उर्वरक है जो इनपुट लागत को कम करने के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित और लाभकारी है। इफको नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो बोरान जैसे नैनो उर्वरकों के अन्य संस्करणों को भी विकसित करने की प्रक्रिया में है जो विकास और क्षेत्र परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, ये आत्मनिर्भर भारत के बेहतरीन उदाहरण हैं क्योंकि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि आयात निर्भरता भी कम होगी और इसे परिवहन करना बहुत आसान है। गुजरात के कलोल में इफको के नैनो यूरिया संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था और समिति को

यह जानकारी दिए जाने के समय 2.40 करोड़ नैनो यूरिया बोतलों का निर्माण किया गया था। यह भी ध्यान दिया गया है कि प्रभावकारिता के संदर्भ में नैनो यूरिया की 1 बोतल 45 किलोग्राम यूरिया बैग के बराबर है। नैनो यूरिया की बोतल की कीमत 240 रुपये प्रति 500 एमएल बोतल है जबकि पारंपरिक सब्सिडी वाले यूरिया की कीमत 266.5 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग है। चूंकि नैनो उर्वरक पारंपरिक राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं, इसलिए नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकार से किसी राजसहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि शोधों से पता चला है कि औसत फसल उत्पादकता वृद्धि लगभग आठ प्रतिशत है, यह किसानों को 5,000-10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत करती है। इसके अलावा, नैनो उर्वरक की प्रभावकारिता 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पारंपरिक यूरिया की प्रभावकारिता केवल 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत है। नैनो यूरिया में पारंपरिक यूरिया को 50 प्रतिशत तक प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। इफको और अधिक संयंत्रों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी को सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् एनएफएल और आरसीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है और वे अपने नैनो यूरिया संयंत्र भी स्थापित कर रहे हैं जो क्रमशः जुलाई, 2024 और मार्च 2024 में चालू हो जाएंगे। इन संयंत्रों के चालू होने से नैनो उर्वरकों के उत्पादन की कुल क्षमता 44 करोड़ बोतल प्रति वर्ष हो जाएगी जो 44 करोड़ यूरिया बैग, लगभग 200 एलएमटी के बराबर होगी और इसमें 90 एलएमटी यूरिया के आयात को कम करने की क्षमता है। इसके अलावा, इस नैनो उर्वरक के स्थिर हो जाने और किसान समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाने के बाद रॉयल्टी के आधार पर प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की संभावनाएं हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया था कि नैनो उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए राजसहायता/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अलग से बजट शीर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना नहीं की गई है। चूंकि नैनो उर्वरक लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, परिवहन में आसान, फसल उत्पादकता में सुधार और सरकार के राजसहायता व्यय को काफी हद तक बचाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

- (i) उर्वरक विभाग सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न नैनो उर्वरकों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करे और इस संबंध में वित्तीय सहायता पर विचार करे।
- (ii) उर्वरक विभाग नैनो उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने पर विचार करे ताकि उन्हें किसानों के लिए बहुत सस्ता और आकर्षक बनाया जा सके।

- (iii) चूंकि इस स्मार्ट उर्वरक के उपयोग से दीर्घावधि में हमारी आयात निर्भरता दूर हो जाएगी, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निजी संस्थाओं द्वारा नैनो उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोत्साहनों पर विचार किया जाए।
- (iv) नैनो उर्वरकों की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए किसानों के बीच एक प्रभावशाली जागरूकता अभियान शुरू किया जाए।
- (v) प्रारंभ में नैनो उर्वरकों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पारंपरिक उर्वरकों की बिक्री के साथ टैग (जोड़ा) किया जा सकता है।
- (vi) चूंकि नैनो उर्वरकों का उपयोग इस क्षेत्र में एक गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए विभाग अन्य उर्वरक पीएसयू और निजी उर्वरक कंपनियों को नैनो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करे ताकि इसकी उत्पादन क्षमता को अधिकतम किया जा सके जो देश को न केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाएगा बल्कि देश एक विशुद्ध निर्यातक भी बन जाएगा।
- (vii) उर्वरक विभाग कृषि मंत्रालय, नागर विमानन विभाग के साथ समन्वय करके प्राथमिकता के आधार पर नैनो उर्वरकों के फोलियर अनुप्रयोग के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करे, जिसमें उर्वरक विनिर्माण कंपनियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों आदि से इनपुट मांगे जाएं ताकि इसके सुविधाजनक और कुशल उपयोग के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 12: एचयूआरएल (हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड) को ब्याज मुक्त ऋण

समिति यह जानकर प्रसन्न हुई कि सीसीईए ने 01.08.2018 को एचयूआरएल परियोजनाओं (सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी) के लिए निर्माण (आईडीसी) घटक के दौरान ब्याज के बराबर 1257.82 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पहली किस्त के रूप में एचयूआरएल को 813.24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि पूंजी खंड के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान एचयूआरएल के लिए ब.अ. और सं.अ. 444.58 करोड़ रुपये था। लेकिन इसके लिए वास्तविक व्यय 31-01-2022 की स्थिति

के अनुसार शून्य था। समिति को यह भी पता चला है कि दूसरी किस्त के संवितरण पर कार्रवाई करते समय यह नोट किया गया था कि आईडीसी को सीसीईए द्वारा शून्य तिथि से 36 महीने से अनधिक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। तथापि, एचयूआरएल ने बैंकरो से ऋण की पहली किस्त के आहरण की तारीख से 36 महीने की अवधि के लिए गणना किए गए ब्याज के बराबर आईएफएल की मांग की थी। सीसीईए द्वारा यथा अनुमोदन अनुसार, विभाग ने आईडीसी के समतुल्य आईएफएल को शून्य तिथि से 36 महीनों की अवधि के लिए सीमित कर दिया और तदनुसार आईएफएल की दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में एचयूआरएल को 81.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और 36302 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई। इस संबंध में समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है-

- (i) यह चिंता का विषय है कि उर्वरक विभाग और वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने से पहले ऋण के अनुमोदन के समय सीसीईए द्वारा निर्धारित शर्तों का ठीक से अध्ययन नहीं किया और इससे लगभग एक वर्ष के लिए 363.02 करोड़ रुपये की अनावश्यक लॉकिंग हुई है, जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधनपूर्वक किया गया होता। समिति को आशा है कि बजटीय आबंटन के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय विभाग अधिक सावधानी बरतेगा ताकि दुर्लभ संसाधनों की अनावश्यक लॉकिंग से बचा जा सके।
- (ii) ब्याज की गणना की तारीख संबंधी मुद्दे सहित ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाए और एचयूआरएल को शेष ऋण राशि जारी करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि यह यूरिया विनिर्माण संयंत्रों के समय पर पुनरुद्धार में सहायक हो। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोड़ी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 24 फरवरी, 2022 को 1530 बजे से 1700 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

9. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. डॉ. अनिल जैन
12. श्री अरुण सिंह
13. श्री विजय पाल सिंह तोमर

सचिवालय

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------------|
| 1. | श्री विनोद कुमार त्रिपाठी | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री नवीन कुमार झा | - | निदेशक |
| 3. | श्री सी. कल्याणसुन्दरम | - | अपर निदेशक |
| 4. | श्री कुलविन्दर सिंह | - | उप सचिव |
| 5. | श्री पन्ना लाल | - | अवर सचिव |

साक्षी

एक. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)

1.	श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी	सचिव (वित्त)
2.	श्री सतेन्द्र सिंह	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
3.	श्रीमती नीरजा अदिदम	संयुक्त सचिव
4.	श्रीमती अपर्णा एस. शर्मा	संयुक्त सचिव
5.	श्री निरंजन लाल	निदेशक
6.	श्री पदम सिंह पाटिल	निदेशक
7.	डॉ. टीना सोनी	निदेशक
8.	श्री के. गुरुमूर्ति	निदेशक

दो. पीएसयूज/अन्य संस्थाएं

9. श्री एस.सी. मुदगेरिकर सीएमडी, आरसीएफ

2. प्रारंभ में, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' में निहित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया।

3. साक्षियों द्वारा अपना परिचय देने के बाद, विभाग के सचिव ने उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 की मुख्य विशेषताओं के बारे में समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

4. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के बाद विभाग की अनुदानों की मांगों 2022-23 के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान, माननीय सभापति और समिति के सदस्यों ने कई मुद्दों पर प्रश्न उठाए जैसे: -

- (i) स्वदेश में निर्मित उर्वरकों के लिए राजसहायता में कमी के कारण।
- (ii) आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता में वृद्धि के कारण।
- (iii) आरई 2021-22 की तुलना में यूरिया राजसहायता और पोषक तत्व आधारित राजसहायता के लिए वर्ष 2022-23 के बीई आबंटन में कमी के कारण।
- (iv) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- (v) नैनो उर्वरकों के संवर्धन और उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके अनुप्रयोग/छिड़काव आदि से संबंधित बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करना।
- (vi) उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और उर्वरक उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा किए गए उपाय।
- (vii) अनुचित व्यापार पद्धतियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री की लेखा परीक्षा की आवश्यकता।
- (viii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को नैनो उर्वरक प्रौद्योगिकी के अंतरण की आवश्यकता ताकि उत्पादन क्षमता को अधिकतम किया जा सके।
- (ix) जैविक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों आदि को शामिल करने के लिए इसके दायरे में वृद्धि करके सिटी कम्पोस्ट स्कीम का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता।

(x) देश के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

5. उर्वरक विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों ने समिति द्वारा उठाई गई उपर्युक्त चिंता/समस्याओं का उत्तर दिया।

6. सभापति ने समिति के समक्ष उपस्थित होने के साथ-साथ समिति को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए साक्षियों का धन्यवाद किया। उन्हें यथाशीघ्र आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भी कहा गया था जो लिखित रूप में तत्समय सुलभ नहीं थी।

7. बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति अलग से रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अरूण सिंह - सभापति (कार्यकारी)

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
8. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

11. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
12. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री के. वेंलेल्वना

सचिवालय

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री नवीन कुमार झा | - | निदेशक |
| 3. श्री सी. कल्याणसुंदरम | - | अपर निदेशक |
| 4. श्री कुलविंदर सिंह | - | उप सचिव |
| 5. श्री पन्नालाल | - | अवर सचिव |

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में भाग लेने में असमर्थ थीं इसलिए समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अंतर्गत बैठक के सभापति के रूप में श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य का चयन किया।

3. तत्पश्चात, कार्यकारी सभापति ने समिति के सदस्यों का इस बैठक में स्वागत किया जिसे चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकार करने के आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए उठाया:-

- | | | | |
|-------|---|-----|-----|
| (i) | XXX | XXX | XXX |
| (ii) | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23); | | |
| (iii) | XXX | XXX | XXX |
| (iv) | XXX | XXX | XXX |

3. समिति ने इन प्रतिवेदनों को विचारोपरांत सर्वसम्मति से किसी संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।